

100
11-09-15

श्रीनिवास

समाह्वय, पत्रालय, दरभंगा

पत्रांक: 03/एफ0-01-04/2008-6300-वि०

म.सं.

6834

बिहार सरकार

दिनांक

22/8/15

वित्त विभाग

कर्म

प्रेषक,
ए.आर. श्रीनिवास

एच.आर. श्रीनिवास

सचिव (संसाधन) ।

सेवा में,

सभी विभाग/विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी,
सभी अनुमण्डल पदाधिकारी,
सभी कोषागार पदाधिकारी,
सभी जिला लेखा पदाधिकारी, बिहार ।

पटना, दिनांक: 15-7-15

विषय: छुट्टी स्वीकृत करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार के कर्मियों को बिहार सेवा संहिता के नियमों के आलोक में विभिन्न प्रकार की छुट्टी स्वीकृत की जाती है । छुट्टी स्वीकृत्यादेश में इस बात का उल्लेख नहीं रहता है कि उन्हें स्वीकृत छुट्टी को घटाने के बाद और कितनी छुट्टी अदेय (बाकी) है, जो आवश्यक है ।

अतः राज्य सरकार के कर्मियों को जब भी कोई छुट्टी स्वीकृत की जाय तो स्वीकृत्यादेश में अदेय (बाकी) छुट्टी का उल्लेख आवश्यक रूप से किया जाय ।

विश्वासभाजन

(एच.आर. श्रीनिवास)

सचिव (संसाधन)

2-14/15

श्री अजित कुमार
श्री अमरेश कुमार
श्री राज कुमार

2229
06/8/15

समाहरणात्मक, दखनगं

(जिला स्थापना शाला)

जापानक 1244 / छाठ दिनांक 10/09/2015

प्रतिलिपि :- सत्री अंचल अधिकारी/प्रखंड विकास गदाठ, दखनगं
जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्गार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सत्री गूजि सुधार उप समाहर्त्री/अनुगंजन गदाठ, दखनगं
जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्गार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- मुख्यालय खिन सत्री निकासी एवं व्ययन गदाठ,
दखनगं जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्गार्थ
प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रखारी आईटी प्रबंधक को सत्री संबंधी RA
की मेल से जेजे तथा वेबसाइट पर स्थापना उप
अपलोड करै हेतु प्रेषित।

20/8/15
25/08/15
दखनगं